रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-867/2026/2458/22-2-2025-17(598)/2024

लखनऊ: दिनांक: 02 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दयाशंकर सिंह उर्फ दइया (बन्दी संख्या-09/2024) पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह, निवासी ग्राम-रवनिया पश्चिम, थाना-कुड़वार, जनपद-सुलतानपुर, जिसे (1) एसटी नं0-167/1998, भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० तृतीय, कक्ष सं०-12, सुलतानपुर के आदेश दिनांक 02.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (2) एसटी नं0-85/2006 व 12/2006, भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 364, 323/149, 506 व 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-05/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, फैजाबाद द्वारा 08 वर्ष एवं अर्थदण्ड रू0-22000/- के व्यतिकम में 04 माह 21 दिन अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया, मूल सजा समाप्त अर्थदण्ड की सजा शेष है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.11.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 00 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 11 माह, 18 दिन की सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-867/2026/2458(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर।

3- पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in